एडेंडम – 273 (320)

(मीठापुर वार्ड)

OFFICE OF THE DIR (Plg.)
MPR/TC, D.D.A. N. DELHI-2
Dy.No....1569....
Dated....30/11/11....

श्री कमलनाथ जी,
माननीय शहरी विकास मंत्री,
भारत सरकार,
निर्माण भवन, नई दिल्ली।

विषयः- मास्टर प्लान 2021 में दिल्ली विकास प्राधिकरण के द्वारा हमारी कालोनी को ओ जोन (Zone O) से निकालकर एफ जोन (Zone F) में डाले जाने हेतू निवेदन।

महोदय,

आपसे विनम्र निवेदन है कि हमारी कालोनी (अपनी कालोनी का नाम) दिल्ली सरकार की 1639 अनाधिकृत कालोनियों की सूची में (अपनी कालोनी का नम्बर) 414 पर सूचीबद्ध हैं। दिल्ली विकास प्राधिकरण के द्वारा तैयार व लागू किया गया मास्टर प्लान 2021 में हमारी कालोनी को जोन ओ (Zone O) में रखा गया है, जोकि सरासर गलत है। जोन ओ यमुना नदी का अग्रभाग/यमुना बैड या यमुना नदी की धारा से दोनो ओर 300 मीटर के क्षेत्र में आ रहे इलाके को ही माना गया है, जो कि माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा समय समय पर पारित आदेशों के अनुरूप है।

हमारी कालोनी (अपनी कालोनी का नाम व नम्बर) यमुना नदी से लगभग 6 से 8 किलोमीटर (दोनो में से कोई एक लिखें) की दूरी पर है व हम लोग यमुना नदी के किनारे या अग्रभाग पर नहीं बैठे हैं। हमारी कालोनी के बाद कुछ और कालोनियाँ हैं व उसके बाद हरियाणा के गांव बसन्तपुर, ईस्मायलपुर, अगवानपुर, सेहतपुर व हरियाणा की कुछ कालोनियाँ भी आती है व उसके बाद कहीं जाकर यमुना नदी बहती है।

दिल्ली विकास प्राधिकरण ने हमारे क्षेत्र के बराबर में एफ जोन लागू किया है। अतः आपसे हमारा विनम्र निवेदन है कि आप कृपया हमारी कालोनी को भी एफ जोन की श्रेणी में ही रखें। हम आपके सदैव आभारी रहेंगें।

आपका अपना,

(प्रधान का नाम, हस्ताक्षर मोहर सहित)

प्रधान
जन सुधार समिति (रजि०)
शिवपुरी, मीठापुर विस्तार,
बदरपुर, नई दिल्ली-44

GOPAL
Shivpuri Adhaksh

प्रतिलिपीः-
1- माननीय उपराज्यपाल, दिल्ली
2- माननीय उपाध्यक्ष, दिल्ली विकास प्राधिकरण
3- माननीय निदेशक (योजना) एमपीआर दिल्ली विकास प्राधिकरण
4- माननीय आयुक्त, दिल्ली नगर निगम
5- माननीय मुख्य सचिव, शहरी विकास विभाग, दिल्ली सरकार
6- श्री रमेश कुमार माननीय सांसद दक्षिण दिल्ली।
7- श्री रामसिंह नेताजी माननीय विधायक, बदरपुर विधानसभा क्षेत्र।

30/11 DD MPR 30/11 AD (P) II